प्रेसनोट थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा। **21.09.2021**

एसओजी टीम व थाना जगदीशपुरा पुलिस टीम के संयुक्त ऑपरेशन द्वारा डॉक्टर के घर में हुयी डकैती की घटना का सफल अनावरण कर, 05 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से रू0 4,52,000/– डकैती के, 02 तमंचा आदि सामान बरामद....

दिनांक 19.09.2021 को वादी डॉक्टर जसवन्त राय पुत्र ज्वाला प्रसाद नि0 आवास विकास थाना जगदीशपुरा आगरा द्वारा थाना जगदीशपुरा पर सूचना दी गयी कि दिनांक 18.09.2021 को 05 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा मेरे घर में घुसकर असलहों के बल पर मेरे व मेरे परिवारीजनों के साथ मारपीट करते हुए करीब 07–08 लाख रूपये व सोने–चाँदी के आभूषण लूट लिये गये थे। इस सम्बन्ध में थाना जगदीशपुरा पर मु0अ0सं0 587/21 धारा 395/323/506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एसओजी टीम व थाना जगदीशपुरा टीम द्वारा पतारशी सुरागशी करते हुए वादी डॉक्टर जसवंत राय व उनकी पत्नी से पूछने पर बताया गया कि अभी हमने अपना नया मकान बनवाया है और 02 महीने पहले ही इस मकान में रहना शुरू किया है। इस मकान में बहुत सारे लेबर, कारपेन्टर, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री व अन्य मजदूरों ने काम किया था, जिसमें डॉक्टर द्वारा बताया गया कि कारपेन्टर मुशर्रफ की गतिविधि ठीक नहीं थी, जिस पर मुझे शंका है। इस पर पुलिस टीम द्वारा विस्तृत रूप से जांच की गयी तो पता चला कि घटना का मास्टर माइंड अभि0 मुशर्रफ वर्ष 2017 में थाना ताजगंज में डकैती के मुकदमे 279/17 धारा 395/323/506/412 भादवि में जेल जा चुका है।

इसी क्रम में दिनांक 20/21.09.2021 को एसओजी टीम व थाना जगदीशपुरा टीम बिचपुरी नहर के पास चैकिंग कर रही थी। चैकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि कुछ दिन पहले आवास विकास में डकैती डालने वाले अभियुक्तगण शहीद नगर थाना सदर बाजार में हरी मजार के पास उसी कार में कहीं भागने की फिराक में खड़े हुए हैं।

इस सूचना पर पुलिस टीम तत्काल बताये स्थान पर पहुंची और गिरफ्तारी हेतु चारों ओर से घेरते हुए गाड़ी में बैठे एक अभियुक्त 01–मुशर्रफ खां को गिरफ्तार कर लिया गया एवं 02 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस व रू0 66,000/– बरामद हुए।

पूछताछ का विवरण :–

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि दिनांक 18.09.2021 को मैंने अपने साथी 02–रमजान खां, 02–सागर कुशवाह, 03–आमिर खां व 05–रेहान के साथ सेक्टर 02 आवास विकास कालोनी में इसी गाड़ी से डकैती डाल कर रूपये व गहने लूटे थे। मैंने अपने पिता के साथ उस घर में कारपेन्टर का काम किया था इसलिए मुझे पता था कि डॉक्टर के पास काफी पैसा है और मैंने अपने साथियों के साथ डॉक्टर के घर में डकैती की योजना बनायी। घर में लूटे गये रूपयों को हमने आपस में बांट लिया। बरामद रूपये उसी डकैती से सम्बन्धित हैं, बाकी के रूपये मैंने अपने दोस्त आहद पुत्र रशीद खान व राशिद पुत्र शाकिर अली को छुपाने के लिए दे दिये हैं। दोनों फरार व्यक्तियों के बारे में बताया गया कि उनमें एक रेहान व दूसरा आमिर था। हम तीनों रमजान व सागर का इन्तजार कर रहे थे और दिल्ली भागने की फिराक में थे।

अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी :–

पुलिस टीम द्वारा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त द्वारा बताये स्थान पर एक बारगी दबिश देते अभि0 रमजान को घर से, अभि0 सागर कुशवाह को टैगोर पार्क के पास से व अभि0 आहद व अभि0 राशिद को आमिर के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। अभि0 आहद व राशिद द्वारा बताया गया कि अभि0 मुशर्रफ ने हम लोगों को डकैती के रूपयों को छुपाने के लिए दिया था।

अपराध करने का तरीका :–

अभियुक्त मुशर्रफ द्वारा डॉक्टर के घर में कारपेंटर का कार्य किया गया था जिससे उसको पूरे घर की जानकारी थी। घर में कार्य करते हुए उसने पूरे घर की वीडियों बना ली थी एवं रैकी करते हुए जानकारी कर ली थी कि कौन सी जगह कैश व सोने चाँदी के आभूषण रखे रहते हैं। अभियुक्त को पता था कि मकान के पास जो खाली प्लाट है उसके बीच से एक पगडंडी वाला रास्ता पीछे सड़क की ओर जाता है और उसी रास्ते से हमको आना व जाना है। अभियुक्तों ने गाड़ी को पीछे सड़क पर बोनट खोलकर खड़ी कर दिया था, जिससे अगर कोई देखे तो ऐसा लगे कि कोई गाड़ी खराब खड़ी है। अभि0 रमजान टूटे हुए मकान से मौका पाकर डॉक्टर के मकान के मुख्य गेट पर चढ़कर अन्दर घुस गया और अन्दर से मुख्य गेट खोल दिया और सभी ने मिलकर वारदात को अन्जाम दे दिया।

- **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण**

01. मुशर्रफ खां पुत्र हाजी सलीम नि0 शहीद नगर भगत सिंह की मूर्ती के पास थाना सदर बाजार जनपद आगरा।
02. रमजान पुत्र जहीर खां नि0 शालू मामी का मकान टैगोर पार्क शहीद नगर थाना सदर बाजार जनपद आगरा।
03. सागर कुशवाह पुत्र गुड्डू सिंह नि0 बाग राजपूत शहीद नगर थाना सदर बाजार जनपद आगरा।

04. आहद पुत्र रशीद खां नि0 शहीद नगर थाना सदर बाजार जनपद आगरा।
05. राशिद पुत्र शाकिर अली नि0 शहीद नगर थाना सदर बाजार जनपद आगरा।

➢ बरामदगी का विवरण :–

01. रू0 4,52,000/– डकैती के।
02. 02 अदद तमंचा नाजायज मय 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर
03. 01 चाकू नाजायज।
04. 01 बन्डल प्रयोगशुदा ट्रांसप्रेन्ट टेप (प्लास्टिक वाली)।
05. 01 गाड़ी वरना।

➢ आपराधिक इतिहास :–

• अभि0 मुशर्रफ खां

01. मु0अ0सं0 0587/21 धारा 395/323/506/412 भादवि थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 588/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।
03. मु0अ0सं0 279/17 धारा 395/323/506/412 भादवि थाना ताजगंज आगरा।

• अभि0 रमजान

01. मु0अ0सं0 0587/21 धारा 395/323/506/412 भादवि थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 589/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

• अभि0 सागर कुशवाह

01. मु0अ0सं0 0587/21 धारा 395/323/506/412 भादवि थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 590/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

• अभि0 आहद व राशिद

01. मु0अ0सं0 0587/21 धारा 395/323/506/412 भादवि थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

➢ पुलिस टीम :–

प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार पाण्डेय मय टीम थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।
उ0नि0 श्री कुलदीप दीक्षित प्रभारी एसओजी मय टीम जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।